**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा**
**पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–417 / 2026**
**(कन्हैया साह उर्फ कृष्ण कुमार साह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार)**

.....

**1. कन्हैया साह उर्फ कृष्ण कुमार साह, पे0 स्व0 महावीर साह**
**2. मनोज साह उर्फ अरविन्द कुमार, पे0 स्व0 महावीर साह.....आवेदकगण।**

**बनाम**

**1. बिहार सरकार .....विपक्षी।**

==========

**आवेदकगण की ओर से : श्री राजेन्द्र सहनी, विद्वान अधिवक्ता**
**विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक**

==========

**आदेश**

**29-04-2026** यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण **1. कन्हैया साह उर्फ कृष्ण कुमार साह एवं 2. मनोज साह उर्फ अरविन्द कुमार** की ओर से एल0एन0एम0सू0 थाना काण्ड संख्या 39 / 2026 **(**विद्वान सी0जे0एम0, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित**)** के अंतर्गत आरोपित अपराध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री राजेन्द्र सहनी** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना।

2. अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 08.02.2026 को समय करीब 11.15 बजे मिठु साह के दूकान पर चाय पीने गया और कहा कि चाय सिगरेट का दूकान ठीक है परंतु गुटका व नशा का सामान बेचते हैं वह गलत है। इतना सुनते ही वह सूचक को गाली देने लगा, तब उसने कहा कि इतनी छोटी सी बात कहने पर क्यों गाली दे रहे हैं। इस पर मिठ्ठु साह स्वयं एवं अपने भाई रविन्द्र साह और कन्हाई साह एवं 3–4 सहयोगी को बुला लिया और उसे घेरकर मारपीट करने लगा। मिठ्ठु साह चाकू से आंख फोड़ने के नियत से प्रहार किया, जिससे आंख के नीचे दायी तरफ का गाल कट गया और खून बहने लगा। कन्हैया साह लोहे के रड से सर पर जान मारने के नियत से प्रहार किया, जिससे सर पर गंभीर चोट लगा और टेटर हो गया। रविन्द्र साह सूचक का कपड़ा फाड़ दिया और उसके जेब से 200 रुपया निकाल लिया। मारपीट के समय हल्ला होने पर बहुत सारे लोग जमा हो गये और बीच बचाव किये, जिससे उसका जान बचा। उसी समय उसका पड़ोसी सोनु मिश्रा आया और उसे ईलाज हेतु डी0एम0सी0एच0 ले गये, जहां उसके दायां गाल पर तीन टांका लगा और प्राथमिक उपचार के

बाद से उसे डिस्चार्ज किया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही कहीं लम्बित है। आवेदक संख्या–1 के विरुद्ध तीन आपराधिक इतिहास जी0ओ0 केस नं0–1447/17, जी0ओ0 केस नं0–74/2026 एवं सत्रवाद संख्या–372/18 लंबित है, जबकि आवेदक संख्या–2 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। यह कहना गलत है कि आवेदकगण सूचक के साथ मारपीट किया। सच्चाई यह है कि सूचक नशे का आदी है और वह शराब की बोतल लाकर मिठ्ठु साह के चाय की दूकान पर पी रहा था और विरोध करने पर सूचक दूकान से जाते समय गिर गया, जिससे उसका गाल जमीन पर रगड़ा गया, जिसके बाद सूचक और उसके दोस्तों ने मिठ्ठु साह को बुरी तरह पीटा। जानकारी मिलने पर आवेदकगण बीच–बचाव करने आये थे। आवेदकगण पर दर्ज प्राथमिकी की धारा 109 और 303(2) बी0एन0एस0 को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय है। जहां तक धारा 109 बी0एन0एस0 का प्रश्न है तो आवेदकगण के विरुद्ध धारा 109 बी0एन0एस0 नहीं बनता है क्योंकि उसने दुबारा प्रहार नहीं किया है जिससे पता चलता है कि आवेदकगण का इरादा उसे मारने का नहीं था इसलिए धारा 109 बी0एन0एस0 नहीं बनता है। धारा 303(2) बी0एन0एस0 का आरोप अलंकृत है और वाद को गंभीर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। सूचक झूठा और मनगढंत कहानी बनाकर झूठा केस दर्ज किया है। आवेदकगण बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने का प्रार्थना किया गया।

5. कांड दैनिकी सहित सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध वाद दैनिकी के कंडिका 2 में सूचक का पुनः बयान है। कंडिका संख्या 3 एवं 4 में साक्षियों का बयान उल्लेखित किया है। आवेदक संख्या–1 कन्हैया साह उर्फ कृष्ण कुमार साह के विरुद्ध सूचक के सिर पर लोहे के रड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप है और उनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी दर्ज है। ऐसी स्थिति में आवेदक संख्या–01 को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **अतः आवेदक संख्या–01 कन्हैया साह उर्फ कृष्ण कुमार साह का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।** जहां तक आवेदक संख्या–02 मनोज साह उर्फ अरविन्द कुमार का प्रश्न है, उसपर सूचक का कपड़ा फाड़ने और जेब से 200/–रु0 निकालने का आरोप आरोपित है, जो अंलकृत और सामान्य

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XII, दरभंगा**
**पीठासीन पदाधिकारी : जावेद आलम**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–417/2026**
**(कन्हैया साह उर्फ कृष्ण कुमार साह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार)**

प्रकृति का प्रतीत होता है और आवेदक संख्या–2 मनोज साह उर्फ अरविन्द कुमार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

6. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक संख्या **2. मनोज साह उर्फ अरविन्द कुमार** को बी0एन0एस0 की धारा 482(2) के शर्तों के अधीन न्यायालय विद्वान सी0जे0एम0, दरभंगा में इस आदेश के प्राप्त होने के **15 दिनों** के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000/–(**दस हजार)** रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

Sd/-
(जावेद आलम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,XII
दरभंगा।